

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार तय मापदण्ड तीन वर्ष के भीतर पूरे करने थे। इन विद्यालयों को स्वघोषणा पत्र प्रपत्र-2 में मान्यता प्रदान की गई थी।

उसी मान्यता को इस कार्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशासन पर निम्न विद्यालयों की मान्यता तय मापदण्ड पूरे करने से अन्य आदेश तक बढ़ाई जाती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं 19 की पालना करने में कोई विद्यालय असफल रहता है तो विद्यालय की मान्यता उक्त धारा 3 के अनुसार तय तरीके से वापस ली जा सकेगी।

1	उषा नर्सरी पब्लिक स्कूल, कुम्भानगर, चि.	CTG-18	उप्रावि
2	जयश्री बालाजी विद्या निकेतन करुकड़ा, कपा.	KAP-45	प्रावि
3	चैस मेन पब्लिक स्कूल निम्बाहेड़ा	NBH-104	प्रावि
4	पदम विद्या विहार निम्बाहेड़ा	NBH-1	प्रावि
5	ज्ञानदीप उप्रावि निम्बाहेड़ा	NBH-35	उप्रावि
6	महर्षि गौतम विद्या निकेतन उप्रावि निम्बाहेड़ा	NBH-39	उप्रावि
7	न्यू स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल निम्बाहेड़ा	NBH-34	उप्रावि
8	मॉ गायत्री पब्लिक स्कूल अरनियाजोशी, निम्बा.	NBH-2	उप्रावि
9	मॉर्डन पब्लिक स्कूल उप्रावि निम्बाहेड़ा	NBH-11	उप्रावि
10	गैलेक्सी ऑफ नोबल चिल्ड्रन उप्रावि निम्बाहेड़ा	NBH-47	उप्रावि
11	श्रीराम विद्या निकेतन, उप्रावि बरड़ा, निम्बाहेड़ा	NBH-65	उप्रावि
12	अन्ना पूर्णा विद्या निकेतन प्रावि रठांजना, निम्बा.	NBH-105	प्रावि
13	निवेदिता विंध्य मंदिर प्रावि निम्बाहेड़ा	NBH-18	प्रावि
14	आदर्श विद्या मंदिर बांगेडा घाटा, निम्बाहेड़ा	NBH-42	प्रावि

क्रमांक : जिशिचि/प्राशि/कास/वि.मा./2013/

190

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् शिक्षा उपनिदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़।
4. संबंधित संस्थाप्रधान

५५
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं शिक्षा, चित्तौड़गढ़
दिनांक : २-१-१५

६
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं शिक्षा, चित्तौड़गढ़